न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 23 / 2024	12.06.2024	16.10.2024

1–सरकार जर्ये प्रशान्त यादव प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

2–भीमसिंह पुत्र फूलसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सैदपुर नगर परिषद भिवाडी फेस–तृतीय तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित द्रवित पट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लधंन ।

उपस्थितः–

1 ————————— विभागीय प्रतिनिधि

2–अनुपस्थित वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रशान्त यादव प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित द्रवित पट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लधंन पाये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 11.05.2018 को दुरभाष पर जिला रसद अधिकारी अलवर निर्देशित किये जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डरो की कालाबाजारी जॉच हेतु मौके पर थाना भिवाडी फेस तृतीय पर पहुचा। पुलिस थाना भिवाडी फेस तृतीय के एस.एच.ओ. ने फर्द डिटेन प्रस्तुत की मुताबिक फर्द डिटेन एक टैम्पू संख्या आर.जे. 02 जी.बी– 3243 जिसमें कुल 38 गैस सिलेण्डर्स घरेलू उपयोग (क्षमता 14.2 किलोग्राम) सरकारी कम्पनी के रखे मिले। उक्त सिलेण्डर्स के संबंध में चालक भीम सिंह द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। न ही वक्त मौका जॉच वाहन चालक व मालिक उपस्थित हुये। मौके पर 38 घरेलू गैस सिलेण्डर्स में से आई.ओ.सी. कम्पनी के 20 सील्ड भरे हुये, व 13 खाली एवं बी.पी.सी.एल. के 5 सिलेण्डर्स खाली मिले। इस प्रकार वाहन चालक भीम सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी सैदपुर नगर परिषद भिवाडी फेस– तृतीय तहसील टपूकडा जिला खैरथल– तिजारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लधंन होने के कारण उक्त भरे हुये 38 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एल.पी.जी. (क्षमता 14.2 किलोग्राम) जिसमें से 20 भरे सीलशुदा व 18

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

खाली सिलेण्डर्स को चौपानकी इंडेन के प्रतिनिधि सुधीर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया, तथा एक टैम्पू न0 आर.जे. 02–जी.बी. 3243 को जप्त किया कर थाना भिवाडी फेस तृतीय के मालखाना ईचार्ज सुबेंसिंह एच.सी. 899 को सुपुर्द किया गया। अतः निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर उक्त घरेलू 38 एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किलोग्राम) के 20 भरे सीलशुदा व 18 खाली सिलेण्डर्स तथा एक टैम्पू आर.जे.02–जी.बी.– 3243 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी को बार–बार जर्ये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अप्रार्थी आदिनाक तक उपस्थित नही हुआ। न ही अपना जवाब पेश किया गया।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 11.05.2018 को दुरभाष पर जिला रसद अधिकारी अलवर निर्देशित किये जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डरो की जॉच हेतु मौके पर थाना भिवाडी फेस तृतीय पर पहुचा पुलिस थाना भिवाडी फेस तृतीय के एस.एच.ओ. ने फर्द डिटेन प्रस्तुत की मुताबिक फर्द डिटेन एक टैम्पू संख्या आर.जे.02 जी.बी–3243 जिसमें कुल 38 गैस सिलेण्डर्स घरेलू उपयोग (क्षमता 14.2 किलोग्राम) सरकारी कम्पनी के रखे मिले उक्त सिलेण्डर्स के संबंध में चालक भीम सिंह द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। इस प्रकार वाहन चालक भीम सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी सैदपुर नगर परिषद भिवाडी फेस–तृतीय तहसील टपूकडा जिला खैरथल– तिजारा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव प्रार्थी की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की अवहेलना किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत भरे हुये 38 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एल.पी.जी. (क्षमता 14.2 किलोग्राम) जिसमें से 20 भरे सीलशुदा व 18 खाली सिलेण्डर्स को जप्त किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी को बार–बार जर्ये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अप्रार्थी आदिनांक तक उपस्थित नही हुआ। न ही अपना जवाब पेश किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा 38 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एल.पी.जी. (क्षमता 14.2 किलोग्राम) जिसमें से 20 भरे सीलशुदा व 18 खाली सिलेण्डर्स को दिनाक 11.05.2018 को चौपानकी इंडेन के प्रतिनिधि सुधीर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया हुआ है, सुपुर्दगार

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार राजसात किये जाने की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा (राज0)